राजकीय महाविद्यालय, रावतभाटा (चित्तौड़गढ़) राज.

क्रमांकः E/01 दिनांकः 17/08/2022

छात्रसंघ निर्वाचन सत्र 2022-23 अधिघोषणा

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के पत्रांक एफ 7(4) छात्रसंघ चुनाव/अकाद/आकाशि/2022/653 दिनांक 08 अगस्त 2022 द्वारा संदर्भित राजस्थान सरकार शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग क्रमांक प.3 (54) शिक्षा-4/2002 पार्ट-जयपुर दिनांक 29-07-2022 के अनुसार छात्रसंघ निर्वाचन सत्र 2022/2023 का कार्यक्रम निम्न प्रकार हैं।

क्रसं	कार्यक्रम	दिनांक	समय
1	मतदाता सूची का प्रकाशन	18/08/2022	प्रातः 10.00 से अपराह्न 3.00 बजे तक
2	मतदाता सूची पर आपत्तियाँ प्राप्त करना	20/08/2022	प्रातः 10.00 से अपराह्न 1.00 बजे तक
3	मतदाता सूचियों का अन्तिम प्रकाशन	20/08/2022	अपराह्न 2.00 से सांय 5.00 बजे तक
4	उम्मीदवारी हेतु नामांकन पत्र दाखिल करना	22/08/2022	प्रातः 10.00 से अपराह्न 3.00 बजे तक
5	उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की जांच एवं आपत्ति प्राप्त करना	22/08/2022	अपराह्न 3.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक
6.	वैद्य नामांकन सूची का प्रकाशन	23/08/2022	प्रातः 10 बजे
7.	उम्मीदवारों द्वारा नाम वापसी लिया जाना	23/08/2022	पूर्वाह्न 11.00 से अपराह्न 2.00 बजे तक
8.	उम्मीदवारों की अंतिम नामांकन सूची का प्रकाशन	23/08/2022	अपराह्न 2.00 से सांय 5.00 बजे तक
9.	मतदान	26/08/2022	प्रातः 8.00 से अपराह्न 1.00 बजे तक
10	मतगणना एवं चुनाव परिणाम की घोषणा तथा विजयी उम्मीदवारों को शपथ दिलवाना	27/08/2022	सुबह 10:00 बजे से कार्य समाप्ति तक

नोटः-

1. केवल नियमित विद्यार्थी ही महाविद्यालय परिसर में प्रवेश के अधिकारी होंगे तथा सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान समस्त प्रत्याशियों एवं मतदाताओं को महाविद्यालय से प्राप्त अपना वोटर कार्ड (**Voter Card**), फीस की रसीद व परिचय पत्र (आधार कार्ड) साथ रखना आवश्यक है। सम्पूर्ण चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय महाविद्यालय से प्राप्त वोटर कार्ड मांगे जाने पर तत्काल दिखाया जाना आवश्यक होगा। वोटर कार्ड के अभाव में कोई भी विद्यार्थी मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकेगा। अतः सभी प्रवेशार्थी अपना वोटर कार्ड महाविद्यालय से आवश्यक रूप से दिनांक 25-08-2022 (गुरुवार) सांय 05:00 बजे से पूर्व प्राप्त कर लेवें।
2. नामांकन हेतु निर्धारित जमानत राशि जमा करवाना आवश्यक होगा जो कि निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न होने के पश्चात् ही वापस देय होगी।
3. समस्त विद्यार्थियों एवं प्रत्याशियों को छात्रसंघ निर्वाचन हेतु आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, राजस्थान सरकार, लिंगदोह समिति की सिफारिशो, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, प्राचार्य एवं निर्वाचन कार्यालय द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों की आवश्यक रूप से पालना करनी होगी।
4. प्रत्याशी ध्यान रखें कि चुनाव आचार-संहिता के समस्त निर्देशों की पूर्ण पालना के साथ ही अपने हस्तलिखित बैनर, पोस्टर, इत्यादि महाविद्यालय में केवल नियत स्थान एवं व्यय सीमा में ही लगावें। इसके अतिरिक्त महाविद्यालय परिसर के सभी स्थान प्रतिबंधित हैं। महाविद्यालय परिसर के बाहर रैलियां, जन-सभा या प्रचार सामग्री लगाने अथवा वितरित करने की अनुमति नहीं होगी। प्रचार हेतु लाउडस्पीकर, वाहनों और जानवरों का उपयोग निषिद्ध है।
5. किसी भी विद्यार्थी अथवा प्रत्याशी को किसी भी परिस्थिति में महाविद्यालय परिसर में मोबाइल/कैमरा/इलैक्ट्रोनिक उपकरण/अस्त्र-शस्त्र/अन्य आपत्तिजनक सामग्री आदि के साथ प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
(श्रीमती रंजना मीणा)
राजकीय महाविद्यालय, रावतभाटा

प्राचार्य
(श्री मुकेश कुमार मीणा)
राजकीय महाविद्यालय, रावतभाटा

Scanned with CamScanner